# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चिखली जिला डूंगरपुर

श्री धुला पिता हिरा अहारी बनाम श्री केसरलाल पिता थाना अहारी वगैरा

पत्रावली संख्या– 07/25

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | दिनांक 01.10.2025 को पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जाना आवश्यक है क प्रार्थी की विरासती खातेदारी आराजी मौजा नई बस्ती बडगामा में खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 108 खेत किता 1 कुल रकबा 3.6648 है0 में जबरन अतिक्रमण अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार व मजदुरों से करावें। न ही प्रार्थी को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करें न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार व मजदुरों से करावें। ऐसे में ता फैसला रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलित की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।<br><br>अतः प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी की विरासती खातेदारी आराजी मौजा नई बस्ती बडगामा में खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 108 खेत किता 1 कुल रकबा 3.6648 है0 भूमि में दोनों पक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>एवं पदेन सहायक कलक्टर<br>चिखली | |